



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

पत्रांक- जे0एन0सी0यू0/आर0कैम्प (सा0प्र0)/स0/40/ /2018

दिनांक: 4 अक्टूबर, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

राधा मोहन किसान मजदूर पी0 जी0 कालेज,
नियामतपुर-कन्साँ बलिया

विषय:- विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सहायक आचार्य के संविदा विस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक: 29.09.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक: 11.01.2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पत्रांक: स0कु0स0-2B स0अ0/1510/06-168-2013/2013, दिनांक: 18 नवम्बर, 2013 द्वारा अनुमोदित एवं प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 02.09.2017 के क्रम में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, एवं संपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)97 दिनांक 23 अगस्त 2011 तथा संख्या-868/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आधार पर प्रवक्ता की संविदा विस्तारण के लिए उनके नाम के सम्मुखान्वित तिथि से आगामी 05 वर्षों के लिए किये जाने हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है-

क्र0	नाम	विषय	विषय	पूर्व संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तारण की तिथि
1.	डॉ0 कृष्ण कान्त मिश्रा	डॉ0 श्रीराम मिश्रा	स0अ0 प्राचीन इतिहास	10.01.2017	11.01.2017
2.	डॉ0 मधुकर दीक्षित	श्री विश्वम्भर दीक्षित	स0अ0 समाजशास्त्र	10.01.2017	11.01.2017
3.	डॉ0 सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय	श्री शितला प्रसाद पाण्डेय	स0अ0 राजनीतिशास्त्र	10.01.2017	11.01.2017
4.	डॉ0 संजय राय	श्री छविनाथ राय	स0अ0 हिन्दी	10.01.2017	11.01.2017
5.	डॉ0 अमरेश सिंह	श्री उदय प्रताप सिंह	स0अ0 भूगोल	19.01.2018	20.01.2018
6.	डॉ0 राम मोहन त्रिपाठी	श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी	स0अ0 शिक्षाशास्त्र	19.01.2018	20.01.2018

उपरोक्त संविदा विस्तारण प्रबन्ध समिति के संस्तुति के आधार पर किया जा रहा है तथा प्रवक्ता संविदा विस्तारण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि उनके लिए देय अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीयदूरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा पुनः नवीनीकृत की जा सकेंगी।

भवदीय,
(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ

कुलसचिव



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

पत्रांक: जे०एन०सी०यू०/कु०/स०वि०/च नं०/2019

दिनांक : 19 अगस्त, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

राधा मोहन किसान मजदूर पी० जी० कालेज,

नियामतपुर, कन्तो, बलिया

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवक्ताओं के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक: 05.08.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक: 11.01.2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पत्रांक: स०कु०स०-28स०अ०/2807/06-232-प्र०अनु०-2013/2014, दिनांक: 03 जुलाई, 2014 द्वारा अनुमोदित एवं प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 18.06.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)97 दिनांक 23 अगस्त 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आधार पर प्रवक्ता की संविदा विस्तरण के लिए उनके नाम के सम्मुखांकित तिथि से आगामी 05 वर्षों के लिए किये जाने हेतु मा० कुलपति जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है-

क्र०	नाम	पिता का नाम	विषय	पूर्व संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तरण की तिथि
1	डॉ० वर्षा	श्री कौशल किशोर सिंह	प्रवक्ता गृहविज्ञान(UG)	02.07.2019	03.07.2019
2	डॉ० जगजीत कुमार	श्री वंश	प्रवक्ता गृहविज्ञान(UG)	02.07.2019	03.07.2019
3	श्री आशुतोष सिंह	श्री जेलियांग	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र(PG)	02.07.2019	03.07.2019
4	डॉ० विकास मौर्य	श्री विनोद कुमार मौर्य	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र(PG)	02.07.2019	03.07.2019
5	श्री सुबाष चन्द्र	श्री रावधन	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र(PG)	02.07.2019	03.07.2019

उपर्युक्त प्रवक्ता संविदा विस्तरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि उनके लिए देय अंशदायी भविष्य निधि (क्रेडिटरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा पुनः नवीनीकृत की जा सकेंगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ

कुलसचिव



पत्रांक: जे0एन0सी0यू0/कु0स0/58 /2018

दिनांक: 31 जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रबन्धक,

राधामोहन किसान मजदूर पी0 जी0 कालेज,
नियामतपुर, कन्सा, बलिया

विषय:- स्वतंत्रतापक्षित योजनान्तर्गत प्राचार्य एवं कला संकाय के अन्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र, एवं भूगोल विषयों में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 24.10.2017 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के संदर्भ में चयन समिति की संसृति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं संहतित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्वतंत्रतापक्षित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अर्थार्थियों को उनके सम्मुखित विवरण के अनुसार पॉच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अर्थार्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नम्बर
1	डॉ० मजुराम त्रिपाठी	स्व० शिवनाथ त्रिपाठी	01.07.1973	पी-एच0डी	प्राचार्य	324584276374
2	डॉ० कमलेश ठाकुर	श्री रमेश ठाकुर	02.07.1982	पी-एच0डी	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	432848710474
3	श्री आशुतोष कुमार गुप्ता	श्री लल्लन प्रसाद गुप्ता	25.07.1988	नेट	प्रवक्ता भूगोल	733870762275
4	श्री मनोज कुमार चौरसिया	श्री ठाकुर प्रसाद चौरसिया	08.02.1992	नेट	प्रवक्ता भूगोल	641462196555

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अर्थार्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अर्थार्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1.माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।

भवदीय,

कृते कुलसचिव

उप कुलसचिव

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

पत्रांक कुपसो/173 /2017,

दिनांक 23 अप्रैल, 2017

सेवा में,

प्रबन्धक,
राधागोहन किसान मजदूर महाविद्यालय,
नियामतपुर, कन्नौ,
बलिया।

विषय: स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत समाजशास्त्र विषय में संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 17.10.2016 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-6099/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा संख्या-988/सत्तर-2-2013-18 (98)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में विश्वविद्यालय के पत्रांक-साकुपसो-सम्बद्धता/08/542/(सांविद)/2012 दिनांक 28.06.2013 द्वारा विस्तरण अनुमन्त्र प्रवक्ताओं का संविदा विस्तरण प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 05.06.2016 के क्रम में माओ कुलपति जी के आदेशानुसार उनके नाम के सम्मुखान्त तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए किया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र०	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	प्रवक्ता	पूर्व संविदा समाप्ति तिथि	नवी संविदा प्रारम्भ की तिथि	आवार कर्क नम्बर
1.	श्री विकास शरदे	श्री इन्द्र कुमार	10.05.82	प्रवक्ता समाजशास्त्र	29.06.2011	30.06.2016	26246411-3901
2.	श्रीमती मोनिका	श्री सह्यादुर राम सोनकर	12.07.84	प्रवक्ता समाजशास्त्र	29.06.2011	30.06.2016	92435483-7891

उपर्युक्त प्रवक्ताओं का संविदा विस्तरण इस प्रतिबंध के साथ किया जाता है कि उनके लिए देब अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रिब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीबे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा पुनः नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
- परीक्षा नियंत्रक, भूगोलाकाशी विद्यापीठ, वाराणसी।

कुलसचिव



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

पत्रांक: जे0एन0सी0यू0/कु0/स0वि0/ २५४ /2019

दिनांक : ०१ अगस्त, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

राधा मोहन किसान मजदूर पी0 जी0 कालेज,

नियामतपुर, कन्नो, बलिया

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के संविदा विस्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक: 23.07.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक: 11.01.2008 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के पत्रांक: कु0सा0/173/2017, दिनांक: 27 अप्रैल, 2017 द्वारा अनुमोदित एवं प्रबन्ध समिति की संस्तुति दिनांक 18.08.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, एवं सपठित शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त 2011 तथा संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आधार पर प्रवक्ता की संविदा विस्तरण के लिए उनके नाम के सम्मुखाकित तिथि से आगामी 05 वर्षों के लिए किये जाने हेतु मा0 कुलपति जी द्वारा अनुमति प्रदान की गई है-

क्र0	नाम	पिता का नाम	विषय	पूर्व संविदा समाप्ति की तिथि	संविदा विस्तरण की तिथि
1	डॉ0 संजय कुमार दास	श्री एन0एन0 दास	विभागाध्यक्ष बी0एड0	22.09.2021	21.09.2021
2	श्री आनन्द किशोर	श्री शिवपुजन प्रसाद सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019
3	कु0 अमिता वर्मा	डॉ0 बृज किशोर	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019
4	श्री अरविन्द कुमार सिंह	श्री तिलक सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019
5	कु0 अन्जना सिंह	श्री राजेन्द्र सिंह	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019
6	श्री अजय दीक्षित	श्री रजनीश दीक्षित	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019
7	कु0 मीरा तिवारी	श्री रामकृष्ण तिवारी	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019
8	श्री कमल किशोर मल्होत्रा	श्री जे0के0 मल्होत्रा	प्रवक्ता बी0एड0	04.07.2019	05.07.2019

उपर्युक्त प्रवक्ता संविदा विस्तरण इस प्रतिबन्ध के साथ किया जाता है कि उनके लिए देय अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान की कार्यवाही सीधे बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा पुनः नवीनीकृत की जा सकेंगी।

भवदीय,

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. माननीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ

कुलसचिव



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, Jananayak Chandrashekhar University, Ballia,

314-2027

पत्रांक- जे0एन0सी0यू0/आर0केय (सा0प्र0)/199/2019

दिनांक: 24 सितम्बर, 2019

सेवा में,

प्रबन्धक,

राधा सोहन किसान मजदूर पी0 जी0 कालेज, नियामतपुर,

बलिया

विषय:- स्वविस्तारोपेक्षित योजनान्तर्गत स्नातक पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत, के बी0ए0क0 एवं कला संकाय के अन्तर्गत समाजकार्य के प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 25.09.2019 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विद्यारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्वविस्तारोपेक्षित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त प्राचार्य के लिए अधोलिखित अन्यायियों को उनके सम्मुखीकृत विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये घयनित अन्यायी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नम्बर
स्नातक स्तर शिक्षा संकाय:-						
1	श्री रवितोष कुमार सिंह	श्री नगेन्द्र बहादुर सिंह	20.08.1981	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	682981619493
2	श्री विनय कुमार	श्री छोटे लाल	30.07.1989	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	951246815439
3	श्री अतुल कुमार सिंह	श्री अमय राज सिंह	10.01.1980	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	350177041999
4	श्री विनय कुमार सिंह	श्री मुन्ना सिंह	07.11.1985	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	222827638511
5	श्री देवर्षि कुमार चौबे	डॉ0 दीनानाथ चौबे	09.05.1989	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	483742584386
6	श्री रविन्द्र नाथ पाल	श्री छोटे लाल पाल	16.09.1985	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	871562411058
7	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव	श्री बलवीर श्रीवास्तव	11.01.1987	37	प्रवक्ता बी0ए0क0	561235553041
8	श्री मनीष कुमार	श्री राम समूझ	08.07.1989	नेट	प्रवक्ता बी0ए0क0	284190165699

स्नात स्तर कला संकाय

1	श्री सन्त प्रसाद जी	श्री गणेश राम	10.12.1984	नेट	प्रवक्ता समाजकार्य	380938234857
---	---------------------	---------------	------------	-----	--------------------	--------------

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अन्यायी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अन्यायी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्राचार्य एवं प्रवक्ता को तथा एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (किन्ट्रिब्यूटरी प्राविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन मुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताप पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

कुलसचिव